10.5.18 पत्रावली पेश हुई। वादी व उसके वकील हाजिर। सुना गया। सुमित्रा शर्मा पत्रावली का अवलोकन किया। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है ग्राम इन्द्रपुरा की जमाबंदी संवत् 2051 खाता सं. नया पुराना 29-269, खसरा न. 575 रकबा 3.13, बा.1 तथा खसरा न. 610 रकबा 10.00.00 बा.1 दामोदर व गजानन्द पुत्र रेवाशंकर जाति ब्राह्मण के नाम दर्ज है किन्तु वादिया तथा प्रतिवादी सं. 1 से 3 तथा प्रर्फोमा प्रतिवादिया के संयुक्त कब्जेकाश्त स्वामित्व आधिपत्य की है उक्त वर्णित आराजी वादिया की माता सुमन देवी पत्नी रेवाशंकर के खातेदारी की है स्व. सुमन देवी का स्वर्गवास हो चुका है तथा स्व. रेवाशंकर का भी स्वर्गवास हो चुका है।

रेवाशंकर पुत्र बद्रीलाल (फौत)

- सुगनी बाई (पत्नी फौत)
- दामोदर (पुत्र)
- गजानन्द (पुत्र फौत)
  - इन्द्रा (पत्नी)
  - राकेश (पुत्र)
- भंवरी देवी (पुत्री)
- सुमित्रा देवी (पुत्री)

वाद वर्णित उक्त आराजीयात संयुक्त हिन्दु परिवार की है जिसमें वादियाँ का 1/4 हि., प्रतिवादी सं. 1 का 1/4 हि., प्रतिवादी सं. 2 लगायत 3 का 1/4 हि., प्रर्फोमा प्रतिवादीया का 1/4 हि. है इसी अनुसार मौके पर काबीज चले आ रहे हैं रेवाशंकर की मृत्यु के पश्चात राजस्व अधिकारियों ने मनमाने ढंग से प्रतिवादी सं. 1 व 2 व 3 के पति / पिता के नाम दर्ज कर दिया। जो कतई गलत है और दुरस्त किये जाने योग्य है दिनांक 23.5.14 को प्रतिवादी सं. 1 ने मोबाईल पर भाग बबुला होते हुये धमकी दी की जमीन में तुम्हारा नाम नही है इसलिये तुम्हे हिस्सा नही मिलेगा। तुम्हारी मर्जी होये जो कर लो दिनांक 3-5-14 को वादिया पटवारी के पास गयी। तो राजस्व रिकोर्ड देखने से पता चला। वादिया का नाम रिकोर्ड मे नही है रिकोर्ड मे नाम जोड़ने का निवेदन किया। तो इनकार कर दिया। अत: दावा पेश किया है

प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज होने से प्रतिवादीगण की नियत बद हो गयी है तथा भाराजी को बेंचान अन्तरण करने पर उतारु हो रहे है अतः वादिया को वादवर्णित पुश्तैनी संयुक्त परिवार की खातेदारी भूमि में वादिया को 1/4 हिस्से की खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्याय हित मे उचित है अतः डिकरी जारी की जावे। प्रतिवादी सं. 1 से 3 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे की वे वादिया के हक हिस्से में बाधा उत्पन्न नही करे। प्रकरण क्षेत्राधिकार और श्रेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया और प्रतिवादीगणं जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 4 तथा पेरोकार सरकार की तरफ से जवाब पेश किया गया। अन्य प्रतिवादीगण बावजुद सुचना हाजिर नही होने पर उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही की गयी। जवाब के आधार पर तनकीयात निम्न प्रकार कायम की गयी।

1. आया वादिया का वाद ग्रस्त आराजी खसरा 575, 610 वाकै ग्राम रतनपुरा की जमाबंदी सं. 2069-72 के खाता सं. नया-पुराना 101-95 में दर्ज है जो कि माता सुगनी देवी की खातेदारी की होने से 1/4 हिस्से के खातेदारी की घोषणा की अधिकारी है तथा इसी अनुसार राजस्व रिकोर्ड के अंकन किये जाने की अधिकारी है = वादिया

उपखण्ड अधिकारी ... सरदार...

Scanned by CamScanner

2. आया वादिया स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी है?
— वादिया

3. आया वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी संयुक्त हिन्दू परिवार की आराजी नही होने से वादिया का कोई हक हिस्सा नहीं बनता?
— प्रतिवादी

4. आया वाद प्रस्तुत करने से पूर्व भूमिधारी को 2 माह का नोटिस नहीं दिया गया है जिससे वाद खारीज किये जाने योग्य है?

5. दादरसी
— प्रतिवादी

वादिया ने शपथ पत्र प्रस्तुत कर जमाबंदी सं. 2069-72 प्रदर्श 1 जमाबंदी वर्किंग सं. 2051 प्रदर्श 2, जमाबंदी सं. 2022-25 प्रदर्श-3 नामान्तरकरण सं. ~~74~~ प्रदर्श 4, नामान्तरण सं. 38 प्रदर्श 5 तथा सजरा प्रमाण पत्र प्रदर्श 6 है वादि ने दावा डिकरी करने की प्रार्थना की जिरह हेतु कोई अनुपस्थित नही हुआ। अत: जिरह शुन्य रही। सधपत प्रतिवादी ~~[illegible]~~ प्रस्तुत नही हुई है तनकी वाईज निर्णय निम्नप्रकार है वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी का कथन है कि नामान्तरकरण सं. 38 द्वारा जो दिनांक 5.10.77 को सुगनी देवी धर्मपत्नी रेवाशंकर की मृत्यु होने पर दामोदर, गजानन्द पिता रेवाशंकर के नाम दर्ज हुआ है रेवाशंकर व सुगनी बाई के वारीस दामोदर, गजानन्द, भंवरी देवी, सुमित्रा देवी थे। किन्तु वाद वर्णित आराजी दामोदर, गजानन्द के नाम दर्ज करदी। जो गलत है जो दुरस्त किये जाने योग्य है तथा वादिया व प्रफोमा प्रतिवादिया सं. 5 के नाम भी दर्ज होने चाहिये थे। अत: वादिया का दावा स्वीकार किया जाकर उसे 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। तथा प्रतिवादीगण 1 से 3 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वे वादिया के 1/4 हिस्से में बाधा उत्पन्न कब्जेकारत में नही करे न उसे जबरन बेदखल करे। नही उक्त आराजीयात को बेचान अन्तरण करे।

वकिल वादी की बहस के आधार पर तनकी वाईज निर्णय निम्न प्रकार है।

अधिकारी (अजमेर)

तनकीन. 1 → ग्राम इन्द्रपुरा की जमाबंदी सं. 2069-72 के खाता सं. नया-पुराना 101-95 कि.ता २, रकबा 13.13.00 बिघा, दामोदर गजानन्द पि० रेवाशंकर कौम ब्राह्मण के नाम दर्ज है, यह आराजी नामान्तरकरण सं. 74 से खातेदारो के नाम आयी है जबकि सजरा अहमत नगरपालिका सरवाड़ से जारी जो प्रदर्श-6 है के मुताबिक सुगनी बाई w/o रेवाशंकर के दो पुत्र व दो पुत्रियाँ होने से सभी का नाम दर्ज होना चाहिये था। किन्तु केवल दोनो भाइयों का नाम दर्ज किया है वादिया व प्रर्फोमा प्रतिवादिया का नाम छोड़ दिया है जबकि इनका नाम भी दर्ज होना चाहिये था। अत: वादिया यह तनकी अपने पक्ष में साबित करने में सफल रही है तथा 1/4 हिस्से की खातेदारी की घोषणा कराने की अधिकारी है।

त.न. २ → वादिया 1/4 हिस्से की खातेदार होने का हक रखती है अत: अपने हिस्से तक प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का हक रखती है अत: यह तनकी भी वादिया के पक्ष में तय की जाती है।

त. न. 3 → वादग्रस्त आराजी जमाबंदी संवत 2022-25 जो प्रदर्श-3 है में नामान्तरकरण न. 12 दिनांक-3-3-70 से सुगनी देवी w/o रेवाशंकर खसरा न. 320 रकबा 15.00.00, की खातेदार है और सुगनी देवी वादिया तथा प्रतिवादी सं. 1 व प्रर्फोमा प्रतिवादी सं. 5 तथा प्रतिवादी सं. 2, 3 के पिता की माँ है

अतः इसकी आराजी फ्लाकातान की पुश्तैनी आराजी होना सिद्ध है अतः यह तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

तं.नं. 4 → आम वाद पत्र में तहसीलदार/पैरोकार सरकार का जवाब प्राप्त हुआ है तथा प्रतिवादी को भी जवाब प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त समय दिया गया है अतः इस बिना पर की भूमिदारी को देय का नोटिस नहीं दिया गया है दावा खारिज करने से न्याय का हनन होगा। तथा बहुवाद कार्यवाहियां बढ़ेंगी। अतः यह तनकी भी प्रति वादी के विरूद्ध तय की जाती

अनुतोष

तनकी सं. 1 और 2 वादिया के पक्ष मे तथा तनकी न. 3 व 4 प्रतिवादी के विरूद्ध व वादी के पक्ष में तय किये जाने से वादिया दावा के मुताबिक अनुतोष प्राप्त करने की हकदार है।

निर्णय

ग्राम इन्द्रपुरा की जमाबंदी संवत् 2069-72 के खाता नं. नया-पुराना 101-95 खसरा न. 575 रकबा 3.13.00, गा.1 तथा खसरा न. 610, रकबा 10.00.00, गा.1 जो दामोदर, गजानन्द पि. रेवाशंकर कौम ब्राह्मण सा. सरवाड़ के नाम है इनके स्थान पर ~~दुर्गा~~ दामोदर, भंवरी देवी, सुमित्रा देवी का प्रत्येक का हिस्सा 1/4 तथा इन्द्रा पत्नी गजानन्द व राकेश पुत्र गजानन्द हि. 1/4 दर्ज कर राजस्व रिकोर्ड मे खातेदार काश्तकार के रूप में अंकित करे। तह. सरवाड़ राजस्व रिकोर्ड मे इन्द्राज करे। डिक्री पर्चा इस आशय का जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करे।

निर्णय अटल सेवा केन्द्र खिरिया में सुनाया गया।

अध्यक्ष
लोक अदालत शिविर
सरवाड़ (अजमेर)

सदस्य
लोक अदालत शिविर
सरवाड़ (अजमेर)

प्रधान
सदस्य
लोक अदालत शिविर
सरवाड़ (अजमेर)